न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— नलिनी कठोतिया, आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 45/2021 (GCMS No. 2021/48) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामस्वरूप पुत्र खूबी (मृतक)
1/1 उदयसिंह उम्र 52 साल } पुत्रान रामस्वरूप
1/2 बृजलाल उम्र 44 साल }
1/3 बीना उम्र 58 साल पुत्री रामस्वरूप

जाति यादव निवासी ग्राम झारौली तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....उत्तरवादी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर प्रकरण संख्या 09/19 उनवानी रामस्वरूप बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री महाराजसिंह, वकील।

निर्णय दिनांक : 20.04.2026

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 23.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अधीनस्थ न्यायालय में विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का जन्म ग्राम झारौली में संवत् 2000 के आस पास हुआ। 4—5 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का देहान्त हो गया। प्रार्थी का पंचाग (पत्रा) से नाम जैसाकि उसकी मॉ ने रामस्वरूप रखा परन्तु प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उनके द्वारा छोडी गई आराजी पर प्रार्थी का नाम उसका नाम रामचरन पुत्र खूबीराम लिखवा दिया तथा इसी तरह से रामस्वरूप के स्थान पर अब प्रत्येक राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व खसरा गिरदावरी) एवं जमाबंदी में संलग्न वंशावली (सजरा) में रामचरन का अंकन होता चला गया। गांव में रामस्वरूप उर्फ रामचरन पुत्र खूबीराम एक ही

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

व्यक्ति है। खूबीराम जमादार/विश्वेदार थे इसलिए उनके नाम अंकन खेवट ढाल वांछ संवत् 2003 में प्रार्थी के नाम मालिक एवं खुदकाश्त के इन्द्राज किये गये। जमीदार एवं विश्वेदार उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 5(4) व 29(1) के अनुसार प्रार्थी को रामचरन के नाम से खातेदार अधिकार दिये जाकर राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया, जो गलत है। प्रार्थी व उसके संरक्षकों मां आदि ये कोई जॉच नहीं की गई और सीधे प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरन लिख दिया गया जबकि राशन कार्ड, परिचय पत्र, वोटर लिस्ट एवं अन्य व्यवहारिक निजी एवं अन्य प्रलेखों में रामस्वरूप नाम ही अंकित है। अतः नाम को संशोधित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य के विरूद्व है। अपीलार्थी के पिता का संवत् 2000 के आस पास देहान्त हो गया था उस समय अपीलार्थी 4–5 वर्ष का रहा था। उसके पिता के मरणोपरान्त जब खेती की जमीन में राजस्व अभिलेख इन्द्राज किये गये तो उसका नाम रामस्वरूप नहीं लिख कर गलती से रामचरन अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारियों की भूल रही थी। जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 396/2–12 पर रामस्वरूप नाम दर्ज है लेकिन खाता संख्या 17 में रामचरन दर्ज है। पूर्व में यह कुल आराजी खूबीराम के नाम अंकित रही है और विरासत में अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार रामचरन नाम कतई गलत है। अपीलार्थी पत्रा के अनुसार जो नाम रखा गया है वह रामस्वरूप ही है। इस संबंध में अपीलार्थी ने अब तक सारा व्यवहारिक अभिलेख जैसे वोटरलिस्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत किये है जिस सभी में बिना किसी अशुद्वी के रामस्वरूप पुत्र खूबीराम अंकित चला आ रहा है। ग्राम झारौली में रामस्वरूप पुत्र खूबीराम नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि पुराने अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी के कुछ खसरे रामस्वरूप व कुछ खसरे रामचरन के नाम दर्ज है के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में संवत् 2003 से इन्द्राज चले आ रहे है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लागू होने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रार्थी को नहीं बताया है। इसलिए 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। कतई गलत है। राजस्व अभिलेख में गलती (एरर) वाले भू राजस्व अधिनियम के लागू होने की पूर्व की हो या बाद की उसका शुद्विकरण धारा 136 एलआरएक्ट में ही किया जावेगा। राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी में कोई त्रुटि हो तो उसे संक्षिप्त जॉच करके शुद्व किये जाने का कानूनी प्रावधान है। जब राजस्व अभिलेख में उसके अन्य व्यवहारिक कागजात में रामस्वरूप नाम लिखा हुआ है और कुछ आराजी खसरा नम्बरान पर राजस्व अभिलेख में रामचरन लिख रखा है तो एक आदमी के दो अलग –अलग नाम नहीं हो सकते है। फिर इस संबंध में विपक्षी की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना भी कतई उचित नहीं है कि अपीलार्थी को उसके नाम की शुद्वि कराने के लिए नियमित वाद में सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए। यह राजस्व अभिलेख की एक त्रुटि की है और धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में त्रुटि को शुद्विकरण करने का ही प्रावधान दिया हुआ है। अपीलार्थी के विशेषाधिकार के आधार से वंचित करने व प्रार्थना पत्र को बिना कारण खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी द्वारा जो भी साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये है वो सभी अकाट्य रहे हैं। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से साक्ष्य का खण्डन नहीं किया है न ही कोई रिवीटल में साक्ष्य दी है। केवल कुछ राजस्व अभिलेख के अलावा हर जगह व्यवहार में अपीलार्थी का नाम रामस्वरूप ही लिखा जा रहा है। रामचरन कहीं पर नहीं लिखा गया है। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिया है कि अपीलार्थी का नाम रामस्वरूप ही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 23.02.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में राचरन के स्थान पर रामस्वरूप अंकित किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी के समक्ष वास्ते दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का जन्म ग्राम झारौली में संवत् 2000 के आस पास हुआ। 4–5 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का देहान्त हो गया। प्रार्थी का पंचाग (पत्रा) से नाम जैसाकि उसकी मॉ ने रामस्वरूप रखा परन्तु प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उनके द्वारा छोडी गई आराजी पर प्रार्थी का नाम उसका नाम रामचरन पुत्र खूबीराम लिखवा दिया तथा इसी तरह से रामस्वरूप के स्थान पर अब प्रत्येक राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व खसरा गिरदावरी) एवं जमाबंदी में संलग्न वंशावली (सजरा) में रामचरन का अंकन होता चला गया, जबकि राशन कार्ड, परिचय पत्र, वोटर लिस्ट एवं अन्य व्यवहारिक निजी एवं अन्य प्रलेखों में रामस्वरूप नाम ही अंकित है। अतः नाम को संशोधित किया जावे। अपीलार्थी का नाम ढालवांछ, जमाबंदी व खसरा गिरदावरी आदि में रामचरन पुत्र खूबीराम अंकित है। यहां यह गौरतलब है कि प्रार्थी के द्वारा चाहे गये अनुतोष को धारा 136 एल आर एक्ट के अन्तर्गत विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ....." भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें....." जहां खातेदारान के हित प्रभावित होने लगे वहां इस समरी प्रोसीडिंग्स के जरिये अनुतोष संभव नहीं है। उन्हें समस्त सही तथ्यों के साथ प्रभावित पक्षों को प्रतिवादी बनाते हुये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

करना चाहिए। खातेदारी अंकन में धारा 136 एलआरएक्ट के तहत फरबदल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत सिर्फ लिपिकीय या स्वीकृत गलती रेवेन्यु रिकार्ड में हो गई हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है लेकिन खातेदारी अधिकार नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि वांछित अनुतोष को 136 एलआरएक्ट की समरी प्रोसीडिंग्स के जरिये विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। लिहाजा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 में हम किसी प्रकार की कोई विधि त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलांटस खारिज योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 23.02.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर